



दिनांक .2025

31/07/2025

क./मुख्या/उद्यान/25-26/1680

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय- विभिन्न प्लास्टिक आयटमों की प्रसारित दरों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत।

संदर्भ- निगम का पत्र क्रं 596 दिनांक 27.05.2025

निगम का पत्र क्रं 932 दिनांक 19.06.2025

निगम द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्लास्टिक आयटमों के प्रदाय हेतु प्रसारित दरों की वैधता अवधि में दिनांक 30.07.2025 एवं दिनांक 31.07.2025 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिए वृद्धि की गई थी।

निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए एवं नवीन आरसीओ में लगने वाले समय के कारण पूर्व प्रसारित दरों की वैधता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

क्रं	सामग्री का नाम	निगम दर प्रसारण क्रं/दिनांक	वैधता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि
1	Vermi Compost Bed	2958/21-11-2024	दिनांक 30.08.2025 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
2	Pondlining	2773/06-11-2024	
3	Mulch Film	2960/21-11-2024	
4	Tarpaulins	2946/21-11-2024	
5	Shade net	3713/21-01-2025	
6	Mesh Montages	3713/21-01-2025	

उपरोक्तानुसार सामग्री की दरें दिनांक 30.08.2025 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिए वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

प्रतिलिपि- 1681
31/07/2025

प्रबंधक (उद्यान)

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक ध्वनसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. उप संचालक ध्वनसंधान संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
6. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ
9. mpfstshelpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंधक (उद्यान)